

43
Done

संख्या : 2804 / 1-10-2013-रा०-१०-
12(4)/13

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : २६ जुलाई, 2013
विषय: वर्ष 2013-14 में आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/पुर्नस्थापना हेतु राज्य आपदा मोर्चक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1009/तीन-सी०आ०००(आपदा)/13, दिनांक-19 जुलाई, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बिजनौर में वर्ष 2013-14 में में आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक पुर्नस्थापना/अनुरक्षण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-2, निर्माण खण्ड-5 बिजनौर, अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड-धामपुर एवं निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि० नजीराबाद के कुल ०९ परियोजनाओं/कार्यों (जिला स्तरीय राहत समिति द्वारा अनुमोदित) के लिए कुल धनराशि रु० 1,71,38,000/- की मांग की गयी है। अतः उपलब्ध सापेक्ष ५० प्रतिशत धनराशि अर्थात् निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल धनराशि रु० 85,69,000/- (रु० पचासी लाख उनहत्तर हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| क्र० सं० | कार्यदायी विभाग/संस्था का नाम | स्वीकृत कार्यों/परियोजनाओं की संख्या | मांगी गयी धनराशि (रु० में) | अवमुक्त धनराशि (रु० में) |
|----------|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | अधि० अभि० मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-५ बिजनौर, | 3 | 1,24,35,000 | 62,17,500 |
| 2 | अधि० अभि० अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड-धामपुर | 2 | 42,08,000 | 21,04,000 |
| 3 | अधि० अभि० निर्माण खण्ड-२, लो०नि०वि० नजीराबाद योग | 4 | 4,95,000 | 2,47,500 |
| | | 9 | 1,71,38,000 | 85,69,000 |


2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "२२४५-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेतर-०५-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-८००-अन्य व्यय-०३-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-४२-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिस्मृतियों की आगामी वर्ष के पूर्व पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापना / मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों / शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जॉच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनदेश सं0 2660 / 1-10-2012-रा-10-33(171) / 2012, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत / पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों / कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तराधित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग / जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जाय।
4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-७८ / पी०ए०आ०र० / 2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7 / 2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइडलाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनदेश सं0 2785 / 1-10-2011-12(73) / 2008 दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा।
5. बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिस्मृतियों की तात्कालिक मरम्मत / रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत / रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।
6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।
7. कठिपप्य प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
8. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनदेश संख्या-1693 / 1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in>

पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या—यूओ०२/१-११-२०१३-रा०-११, दिनांक ०४ मार्च, २०१३ में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समाप्त/दिनांक ३१ मार्च, २०१४ से पूर्व शासन को नियमानुसार सर्वप्रिय कर दिया जाये।

९. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-५ भाग-१ के प्रस्तर-३६९ एवं के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-४२ आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

१०. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय

 (एल० वेंकटेश्वर लू) / 
 सचिव एवं राहत आयुक्त।
 ~

संख्या : २८०४(१) / १-१०-२०१३-रा०-१०, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १— महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- २— आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद/प्रमुख सचिव/सिंचाई विभाग/लो०नि० विभाग, उ०प्र० शासन।
- ३— प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ/प्रमुख अभियन्ता, लो०नि० विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- ६— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- ७— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बिजनौर।
- ८— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-५, उ०प्र० शासन।
- ९— समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-१०/राजस्व अनुभाग-६/११, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- १०— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
- ११— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

 (अनिल कुमार बाजपेई)
 उप सचिव।